ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
UGC APPROVAL NO. - 42652
CHETANA

Receivedon 28th Feb 2018, **Revised** on 7th Mar 2018; **Accepted** 17th Mar 2018

आलेख

भारत में ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण विकास का गांधीय प्रतिमान

* डॉ0 वन्दना तिवारी, लेक्चरर (राजनीति विज्ञान)
आरएसवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर
Email id-vandu.raghav@gmail.com, Mob.-9610788868

मुख्य शब्द – *ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्राम पंचायत, विकेंद्रीकरण आदि।*

प्रस्तावना

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है, प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत ही करती थी, परंतु अंग्रेजी राज के जमाने में पंचायतें धीरे–धीरे समाप्त हो गई सभी कार्य सरकारे करने लगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों की सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया।

प्रोफेसर रजनी कोठारी के अनुसार "राष्ट्रीय महत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज्य की स्थापना इससे भारतीय राज्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है।

प्रोफेसर मेहरा का कहना था कि "गांव के लोगों को अधिकार सौपना चाहिए उनको काम करने दो चाहे वह हजार गलतियां क्यों ना करें इससे घबराने की जरूरत नहीं है पंचायतों को अधिकार दो।''

ग्रामीण विकास की अवधारणा का इतिहास भारत में अत्यंत प्राचीन है, भारत प्राचीन काल से गांव का देश रहा है भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था ग्राम प्रधान है उस समय ग्रामीण जनता की आवश्यकताएं सीमित थी गांव आर्थिक दृष्टि से प्राय आत्मनिर्भर थे गांव शहरों की उत्तल पुथल से प्राय अप्रभावित थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मध्यस्थी का अभाव था।

मुगल साम्राज्य का पतन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तथा ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य के कारण भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरुप में काफी परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश सरकार के कारण गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई तथा वस्तु विनिमय का स्थान द्रव्य अर्थव्यवस्था ने ले लिया। राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थ पैदा हो गए। भूमि का उपविभाजन एवं उपखंडन शुरू हो गया । भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके कारण संपूर्ण भारतीय जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है। सदियों से विशेषकर अंग्रेजी शासन काल मैं ग्राम आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से उपेक्षित और पिछड़े रहे हैं । शिक्षा, असमानता ,रूढ़िवादिता, गरीबी और कम उत्पादन एवं उत्पादकता ग्रामीण जीवन की मुख्य समस्या बन गई हैं।

भारत अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यदि देश की ग्रामीण व्यवस्था गड़बड़ा जाती है या विकास नहीं कर पाती है तो इसका सारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ब्रिटिश शासन के बाद ग्रामीण नियोजकों का ध्यान ग्रामीण विकास की ओर गयाप उनके जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण को समझा और उनको एक व्यापक और जनसामान्य आंदोलन के रूप में योजना बनाई। इस व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम का आधार

कृषि को बनाया गया। इस पेपर में मध्य भारत के पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास का गांधीय प्रतिमान के बारे में चर्चा करेंगे।

2 भारत में पंचायती राज की भूमिका

लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती रही है कैसे प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए। जिससे वह अपना विकास स्वयं तय कर सकें। गांव में व्याप्त समस्याओ को केवल केंद्रीय स्तर पर बैठ कर हल नहीं किया जा सकता बल्कि उन समस्याओं को विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। जिसका सबसे बड़ा माध्यम ग्राम सभाएं हो सकती हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रियन को माना जाता है। उन्होंने 1882 ई० मैं एक प्रस्ताव पारित कर के निम्न प्रावधान किए –

1. स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए गए।

2. जिला बोर्ड का गठन किया गया।

3. सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक सीमित कर दी गई।

बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया और इन संस्थाओं को अपने विकास की अनुमति दे दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इन संस्थाओं को और वृहद करने का प्रयास किया गया।

2.1 भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि

गांधी जी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे अतः संविधान वार्ता में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान की। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास आरंभ हुए।

उसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक निकाय मंत्रालय का गठन किया गया तथा ै.ज्ञ. डे को इस विभाग का मंत्री बनाया गया जिसके तहत पहली बार 2 अक्टूबर 1953 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनता की सहभागिता के उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया।

2.2 स्थानीय स्वशासन और विभिन्न समितियां

1. बलवंत राय मेहता समिति(1952–58)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 में सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया।

त्रिस्तरीय पंचायती राज

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति

जिला पंचायत

समिति की सिफारिशों को 1958 में स्वीकार कर लिया गया जिसके तहत सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया।

2. अशोक मेहता समिति

पंचायती राज समस्याओं के संबंध में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की सदस्यता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सरकार को सौंप दी। इस समिति ने निम्न सिफारिश की;–

1 त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए।

2 जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर माना जाए।

3 विकास के कार्य जिला परिषद को दिए जाएं।

4 राज्य पंचायतों का विकेंद्रीकरण ना करें।

3. जी वी के राव समिति

इस समिति में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की जो निम्न है;–

1 विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद को सशक्त भूमिका देनी चाहिए।

2 विकास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, नियोजन, क्रियान्वन जिला या उसके निचले स्तर की पंचायती संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए।

3 नियमित चुनाव कराने चाहिए।

2.3 संवैधानिक विकास

1989 में स्थानीय गांधी सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए 64 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जिसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। किंतु राज्यसभा के द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। क्योंकि लोकसभा को कुछ समय बाद भंग कर दिया गया।

1951 में नई सरकार के गठन के बाद इन संस्थाओं को पी.वी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने के प्रयास किए गए।

20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ इसे सहमति दे दी गई। अधिनियम के प्रभावी होने के बाद सबसे पहले मध्यप्रदेश में पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की।

3 ग्रामीण विकास का गांधीय प्रतिमान

हमारा देश विशाल गांव का पुंज है। यदि देश का संतुलित विकास करना है तो प्रभावी ग्रामीण विकास अहम एवं आधारभूत आवश्यकता है। ग्रामीण विकास से हमारा तात्पर्य मूल रूप से तीन प्रमुख पक्षों से होता है।

प्रथम गरीबी को दूर करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। दूसरा गांव मैं शिक्षा ,स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना। तीसरा देश की शासन व्यवस्था में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना एवं जागरूकता का संचार करना। इस प्रकार से गांव में सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव हो सकता है।

आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था को गांधी जी ने ग्राम स्वराज की संज्ञा दी। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। गांधीजी की आकांक्षा भारत में आत्मनिर्भर तथा स्वायत्तशासी ग्रामों का एक गणराज्य ऊभर

सके। वह पंचायत शक्ति को अधिक से अधिक लोगों के हित में अच्छा मानते थे तथा वह यह मानते थे कि पूरे राष्ट्र के लिए पंचायत व्यवस्था को अपनाया जाए। महात्मा गांधी ने उत्तरस्वाधीनता काल में उभरने वाले भारत का चित्र निरूपित किया था जिसका प्रमाण उनका ग्रंथ "हिन्द स्वराज" (1908) है।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज का यह सोच आदर्श ग्राम पंचायत की अवधारणा प्रस्तुत करती है। वे ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की आत्मनिर्भर इकाइयां बनाना चाहते थे। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण पर आधारित इस व्यवस्था का चित्रण उन्हीं के शब्दों में " भारत में सात लाख गांव हैं प्रत्येक गांव को उनके निवासियों की इच्छा के अनुसार संगठित किया जाएगा।"

इस संबंध में उन्होंने कहा है "पंचायती राज का अर्थ है छोटे से छोटे हिंदुस्तानी बड़े से बड़े हिंदुस्तानी के बराबर ही हिंदुस्तान का स्वामी है। अतः हर भारतीय को शुद्ध और समझदार होना चाहिए ना हो तो उपयुक्त साधन द्वारा पैसा बनाना चाहिए।"

उनका लक्ष्य भारतीय जनता के स्तर को ऊंचा उठाना था तथा कृषि में सुधार, ग्राम के कुटीर उद्योग ,खादी वस्त्र उद्योग आदि की दशा को सुधार कर आधुनिक बनाना था।

तत्काल इस आदर्श विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं किया जा सकता था, तथापि संविधान निर्मात्री सभा ने इस पर विचार अवश्य किया।

गांधी जी का आर्थिक विकास दर्शन ग्राम केंद्रित था। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का आर्थिक विकास दर्शन ग्राम केंद्रित था। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता ही अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि "जब लोगों को यह महसूस हो कि वह स्वयं के प्रयत्नों से अपनी हैसियत सुधार सकते हैं तथा अपने ढंग से स्वयं के भाग्य का निर्माण कर सकते हैं तो वह स्थिति हमारी पूर्ण स्वतंत्रता की परिचायक होगी।"

गांधीजी के विकेंद्रित विकास के दर्शन में खादी को प्रमुखता दी गई। उन्होंने इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि "खादी मानसिकता से अभिप्राय आम जरूरत की वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण की विकेंद्रित व्यवस्था से है।" अतः भारत के लोगों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता तथा समानता का लक्ष्य अर्जन का शुभारंभ विकेंद्रीकृत ग्रामीण विकास की अवधारणा की वास्तविक क्रियान्विति से ही संभव है। उनका कहना था कि" ग्राम स्वराज्य से मेरा अभिप्राय ऐसे ग्राम गणतंत्र से है जो अपने आधारभूत जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों से पूर्णता स्वतंत्र हो किंतु किन्ही अन्य वस्तुओं के लिए पारस्परिक निर्भरता की व्यवस्था को अंगीकार करें।" ऐसे ग्राम गणतंत्र में लोग अपनी आवश्यकता का खाधान्न तथा कपड़े के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास की पैदावार स्वयं करेंगे और यदि अतिरिक्त कृषि भूमि उपलब्ध हो तो नकदी फसलों को भी उगायेंगे। गांव में शिक्षा ,सफाई तथा पेयजल की व्यवस्था भी लोग यथासंभव सहकारी आधार पर करेंगे।

गांधी जी का भारत के ग्रामीण विकास को लेकर दृष्टिकोण व्यापक और लोक केंद्रित था। इसकी जड़ें उनके सत्य के सिद्धांत, अहिंसा एवं लोक कल्याण के दृढ़ विश्वास पर टिकी हुई है। इसमें संपूर्ण विकास के लिए आर्थिक अभिप्रायों के स्थान पर नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया। भारत में विधमान सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशाएं इस प्रतिमान की उपयुक्तता को स्थापित करती हैं तथा यह सामान और सतत ग्रामीण विकास को लाने के लिए गांधीवादी समर्थक एकमात्र उपलब्ध विकल्प मानते हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण विकास एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमे कृषि विकास, आर्थिक व सामाजिक उन्नति की आधार की तैयारी, ग्राम नियोजन, भूमिहीनों के लिए उचित मजदूरी, जन स्वस्थ्य व शिक्षा, समन्वित ग्रामीण विकास, संचार, सत्ता का केन्द्रीकरण

तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इत्यादि सम्मलित हैं ग्रामीण विकास के दो महत्वपूर्ण पहलु हैं विभिन्न शेत्रो में परस्पर निकट समन्वय दवारा आर्थिक विकास तथा ग्रामीण निर्धन लोगो का उत्थान इन विशेष कार्यक्रमों में विशेष बल कमजोर वर्ग के लोगो की और दिया गया है जिसका उदेश्य केवल विकास के लिए प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों को सुनियोजित व्यवस्था से जोड़ना भी है।

ग्रामीण विकास की नीतियों का निर्माण उन परिस्तिथियों में सुधर करने से है जिसमे ग्रामीण लोग कार्य करते हैं एवं रहते हैं॰ नीतियों के लक्ष्य लोगो की इच्छाओ से नियंत्रित होते हैं एवं इच्छित परिवर्तन लाने के लिए लोगो के अनुसार सरकार क्या कर रही है एवं क्या किया जाना चाहिए, इससे नीतियों का परिमापन होता है, यह लोकतंत्र का सिद्धप्न्त है परिवर्तनों को आवश्यकता तब महसूस होती है जब लोग, जिस तरह से चीज़े हो रही है, उन्हें पसंद नहीं करते हैं॰ लोक कार्यवाही के लिया दबाव तब बढ़ता है जब लोग महसूस करते हैं की वे अकेले उपेक्षित समाधान नहीं जा सकते भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक नीति के दो प्रमुख लक्ष्य हैं प्रथम राष्ट्रीय आय में वितरण को बेहतर बनाना भारत की आर्थिक नीतियों में ये लक्ष्य दृष्टिगोचर होते रहे है, जो की पंचवर्षीय योजनाओ में निरुपित किये गए हैं भारत सरकार दवारा ग्रामीण विकास संबंधी लागु की गयीविभिन्न नीतियो का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 मदान सी.आर मदान तारा विलेज डवलपमेंट इन इंडिया

2 त्रिपाठी रेणु ग्रामीण निर्धनिता उन्नमूलन, (ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली

3 कुमार प्रधुमन ग्रामीण विकास हरिश्चंद्र माथुर लोकप्रशासन संस्थान उदयपुर 1986

4 कटारिया सुरेन्द्र भारत में राज्य प्रशासन (मालिक एंड कंपनी, जयपुर

*** Corresponding Author:**
डॉ0 वन्दना तिवारी, लेक्चरर (राजनीति विज्ञान)
आरएसवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर
Email id-vandu.raghav@gmail.com, Mob.-9610788868